rights like freedom of speech and expression and many other political freedoms for which a certain degree of right to property is essential because, as Mr. Ravi himself asked, how many people can go to Court?

Right to work and literacy are good, we all agree. The Janata Party's manifesto also talks about it. I do not know how far they will go, but I would like them to move in that direction.

About minorities and a national minimum wage, we all agree.

About the Forty-second Constitution amendment Act, which was then called the Forty-fourth Constitution (Amendment) Bill, it did contain some good things, but the manner in which it was brought and the way in which it was passed, the manner in which the country was not allowed to discuss it freely and openly was highly objectionable. It was badly brought, wrongly passed, tortrously passed by the House. Therefore, let the Janata Party Government reject it lock, stock and barrel, and then bring forward a new Bill incorporating some of the good things which Mr. Ravi has suggested. This is my request and appeal to the hon. Law Minister. I hope he will agree and not have an idea that because it contains some one or two good things, it should be amended and retained. By scrapping the Act entirely you would also be deprived of some of the executive powers which you are at least in theory now enjoying. I do not want even you to enjoy them, even on paper. That is why I am making this appeal to the hon. Law Minister.

17.09 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE—*Contd.*

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): In the statement which I made this morning regarding Government business in this House for the next week I had mentioned that "Further discussion on the motion regarding train accidents" would be put down for Wednesday, 30th November, 1977, and the "discussion on the motion regarding the statement on Samachar" on Thursday, 1st December, 1977.

However, for unavoidable reasons, it has become necessary to interchange these two discussions. The discussions would now be held as follows:

(a) Discussion on the motion regarding the statement on Samachar—on Wednesday, 30th November, 1977.

(b) Further discussion on the motion regarding the statement on the serious train accidents—on Thursday, 1st December, 1977.

17.10 hrs.

RESOLUTION RE. CHANGES IN THE CONSTITUTION—*Contd.*

SHRI C. K. CHANDRAPPAN (Cannanore): I am very happy that my friend, Mr. Valayar Ravi has brought forward this Resolution which gives us an opportunity to discuss some of the vital problems of today. Most of the points mentioned in the Resolution deserve to be supported. But my approach to the whole problem is slightly different from what was expressed by my good friends here. It is good that we included many good things in the Constitution but it is another matter whether that will be translated into practice. Now Mr. Mavalankar just now mentioned that there is a need to look into the chapter of Directive Principles and from time to time take some of them and put them in the Fundamental Rights so that to that extent you are assuring the people that it will be translated into practice. But the pic-

[Shri C. K. Chandrappan]

ture is this Now, many friends from that side in their speeches said—whether it is the question of literacy, whether it is the question of poverty or anything—'what business Mr Ravi has to say these things, you were in the power for the last thirty years and we are here for the last few months only' There exactly is my point I do not think that even if they remain there for some more years they would succeed much in implementing the promises that they are making to the country Mr Morarji Desai, for example, is falling for the number 10 He says that in ten years, he will solve the problem of unemployment, in ten years, he will solve the problem of illiteracy, in ten years again, he will even solve the problem of caste system in our country I do not have any quarrel over the number whether it is 10, 12 or 5 years But what is the policy you are pursuing which is different from the Congress Party, by which you can tell the people that you will implement the promises that you are making? For all these things we look at it that there is an economic foundation on which you build a certain kind of society You are creating the same society which the Congress tried to create in this country The social order is practically the same, whatever name you may call it, You are just continuing that You are putting capitalism on more firm foundations My point is, under capitalism, unemployment is inevitable; you can not solve it.

Take the condition of India as such If you take the question of giving employment to people without meaningful radical land reforms, you cannot think of it What is the policy of the Janata Party about Land reforms? Is it not a secret that the Janata Party is trying to go back? A memorandum has been given by the MLAs of Janata Party in Orissa saying that the ceiling limit should be enhanced from 15—if I remember right—to 25 Is it the way of implementing the policy of land reforms?

Then, take poverty Poverty has another side Everybody in this House agrees that as years are passing, we are seeing more and more people becoming paupers A process of pauperism is taking place The other side is, a small number of people are becoming more and more rich From 40 per cent of people below poverty line, if we have 60 per cent people below poverty line today, the wealth of Indian monopolists, if you take it from 1947 to date has increased five times The people became poorer, the monopolies became richer Can you stop this process? You have to take many bold steps to break the monopolies Only then, you will be able to solve the problem Unless these problems are tackled adequately, unless these problems are approached from this angle, nothing concrete can be achieved We can talk bad things about you and you can talk bad things about us Life will go on As someone said, Parliament is a talking shop, It is a cosy and comfortable place to sit where we can discuss the things comfortably and will not quarrel beyond a certain limit That will not do Something more has to be done

In regard to some of the constitutional amendments or which Mr Vayalar Ravi has suggested, I support them If these amendments are incorporated in the Constitution, our Constitution will become more democratic Regarding the right to private property, I must make that point very clear We are against private property to the extent that it becomes a means of exploitation Otherwise, I have a private property and someone may have a *pan* shop and all that That is a private property We are not against that But if a private property becomes a means of exploitation, a source of exploitation, then that should go I think, Mr Ravi also meant it that way, that a private property should

not be allowed to become the be-all and the end-all of everything It should not be allowed to be used as a means of exploitation

What about some of the very good things which everybody from the Janata Party said about the constitutional amendments? They are not speaking about those things these days For example the right to vote at the age of 18 If that is brought about may be our democracy will become more dynamic and meaningful What about the right of recall? I think that was a very democratic thing about which the Janata Party talked before the party was formed J P is telling even today that there should be a right of recall If they betray the people must have the right to call them back If I betray I may also be called back I am not excluding myself We should be made more accountable to the people The Janata Party is not talking about it these days

Lastly I come to the system of having a proportional representation That is a very important thing In a democracy like ours what happens is that all kinds of opportunistic and political alliances take place because I want somehow to come to the Parliament I do not care about the number of seats Let everybody get their proportional number of seats I want the Government to make it clear as to where they stand in regard to all these things They may not accept these things right now. But they should make it clear as to what is the position of the Government in regard to these vital matters The country would like to hear from them

With these words I extend my support to the Resolution moved by my hon friend Shri Vayalar Ravi

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) सभापति महोदय मै अपने मित्र श्री रवी को बधाई देना चाहता हू कि उन्होने एक बैलेंसड रेजोल्यूशन इस सदन के सामने रखा। मैं समझता हू कि कोई भी व्यक्ति, चाहे इस तरफ का हो या उस तरफ का, सिद्धात मे उनसे मतभेद नही करेगा । उन्होने यह ठीक ही कहा कि देश मे नयी पोलिटिकल सिचुएशन आई है । जो बदल भारत मे बैलट के जरिए से हुई है वह शायद किसी भी अन्य डेमोक्रेटिक देश मे नही हुआ होगा । यह एक अनपैरेलल्ड घटना हुई है कि हम शान्तिपूर्ण तरीके से इस देश मे क्रान्ति लाये । इसके लिए जनता पार्टी ने जो वायदे किये थे कि हम सविधान मे सशोधन करेंगे, हम लोगो को आजादी देंगे बोलने की अदालत की और अखबार की, मै समझता हू हमारे सारे मित्र इस बात से सहमत होगे कि जनता पार्टी ने थोडे ही समय मे शासन मे आने के बाद, देश से जो तानाशाही का वातावरण था उसको समाप्त करके इस देश का दोबारा आजाद कराया है ।

जहा तक सविधान मे अमेन्डमेन्ट्स की बात है, मैं अपने दोस्त श्री मावलकर जी से इस बात मे सहमत नही हू कि उसको पूरी तरह से हटा दिया जाये । जो चीजे उसमे अच्छी हैं, जो चीजें प्रजातन्त्र के हित मे है, जो जनतंत्र के हित मे है उनको रख करके बाकी जो गलत चीजें हुई हैं उनको जनता पार्टी हटायेगी । हमे विश्वास करना चाहिए कि अगर इस सेशन मे नही तो अगले सेशन मै वह बिल आपके सामने आ जायेगा । हम चाहते है कि हमारे साथी इसम हमारी मदद करे ।

इसी तरीके से हमारे मित्र ने इलैक्शन लाज के बारे मे कहा है । मै समझता हू कि उनमे कुछ बाते ठीक भी है और उनके बारे मे हम विचार कर रहे है और मै भी सरकार से यह माग करूगा कि आज जो चुनाव की पद्धति है, वह इतनी भद्दी और गन्दी है कि उसको जब तक ठीक नही किया जाएगा, तब तक देश से चुनाव ठीक नही होगे हालाकि मैं राइट आफ रिकाल के पक्ष मे नही हूं । देश की आज जो परिस्थिति है उसमे अगर

[श्री कवर लाल गुप्त]

राइट ग्राफ रिकाल दे दिया, तो कोई भी मेम्बर ग्राफ पार्लियामैंट ठीक तरह से काम नही कर सकेगा क्योंकि कोई हजार, पाच सौ लोग इकट्ठा हो गये और उस मेम्बर के पीछे लग गये तो वह उसी मै लगा रहेगा। 18 साल की जो बात कही गई है, उस मे मैं सहमत हू।

सभापति महोदय, जहा तक मीसा का सम्बन्ध है, मै और हमारी पार्टी कारमीर मे जिस तरह का मीसा लगाया गया है, उसके खिलाफ है और हम पूरी तरह से चाहते है कि व्यक्ति को स्वतन्त्रता मिले लेकिन जो अनडिजायरेबिल एलिमैंट है, उससे निपटने के लिए तो कुछ करना होगा। अभी जो रेल की दुर्घटना हुई है, उस मे क्लियरली सेबोटेज है। इसी तरह से पहले जो दुर्घटनाए हो चुकी है जिन मे क्लियरली सेबोटेज का केस है। ऐसे लोगो के साथ क्या किया जाए। आखिर यह इतना बडा देश है और इसमे हमे इन चीजो को रोकना है। इस तरह की चीजो के बारे मे हमे जरूर सोचना पडेगा कि जो इस तरह का एलिमैंट है, उस से किस तरह से निपटा जाए, हालाकि मैं नही चाहता कि किसी भी पोलीटीकल वर्कर के साथ इस तरह के मीसा का प्रयोग हो या दूसरा कोई नया कानून हम बनाए उसका प्रयोग हो। यह नही होना चाहिए। हा, स्मगलर्स, होर्डर्स, इकोनोमिक आफेंडर्स आदि जो इस तरह के लोग है, उनके विरुद्ध कार्यवाही जरूर होनी चाहिए।

सभापति जी, मैं यह भी मानता हू जैसा कि मि० रवि ने कहा है कि हमारी आजादी अधूरी होगी जब तक हमारा एकोनामिक री-कन्सट्रकशन नही होता। हमारे देश मे लगभग आधे लोग ऐसे है जिन को दोनो समय का खाना नही मिलता। इस के लिए किसी की बुराई करने से कोई फायदा नही कि उन्होने कुछ नही किया या किसी ने कुछ नही किया। हमे इस को करना है और यह कहने से कोई फायदा नही होगा कि हम 8, 9 महीने में कैसे कर सकते थे। मेरा कहना यह है कि इन 8, 9 महीनो मे शुरुआत तो होनी चाहिए। लोग हम से आशा करते है क्योकि लोगो की आशाओ को हम ने जगाया है। दूसरी चीज यह है कि लोगो मे पोलीटीकल कासशसनैस भी बढ गई है। इसलिए जनता पार्टी का अगर चलना है, तो लोगो को दोनो समय का भोजन देना होगा और उन लोगो को मकान देना होगा। अगर उस ने ये चीजे लोगो को नही दी, तो जनता पार्टी आगे नही चल सकती है और मै समझता हू कि जब जनता पार्टी अपने वायदे पूरे नही करेगी, तो वह इस कुर्सी को छोड कर उधर जाकर बैठ जाएगी। इसलिए यह हमारा टेस्ट है हमारा ट्रायल है कि हम लोगो को खाना दे और इसीलिए हम ने पूरे एम्पलायमेंट की बात कही है। मेरे मित्र ने कहा कि 10 साल की बात क्यो करते हो। हम ने यह कभी नही कहा कि 10 साल से पहले इस मामले मे शुरुआत नही होनी चाहिए। श्री मोरारजी देसाई ने यह कहा है कि 10 10 साल के बाद हमारे देश मे बेकारी नही रहेगी। कुछ लोगो को हम अब नौकरी देंगे उस से ज्यादा अगले साल देंगे और इस तरह से 10 साल के बाद हमारे देश में कोई बेकार नही होगा। पहले हमारे बारे मे कहा जाता था कि हमारा कोई इकोनोमिक प्रोग्राम नही है। देश के सामने हम ने डाइनीमिक इकोनामिक प्रोग्राम रखा है और उस के बारे मे कहा जाता है कि हम हैवी इडस्ट्रीज के खिलाफ है और इस के खिलाफ हैं और उसके खिलाफ है। हम ने डाइनीमिक चीज देश के सामने रखी है पुरानी लीक को छोड दिया है। इस को भी आप लोग क्रिटीसाइज करते हो लेकिन मेरा कहना यह है कि अनएम्पलायमेन्ट को दूर करने का अगर कोई तरीका है, तो वही तरीका है जो जनता पार्टी ने इकोनामिक प्रोग्राम बनाया है। हमें खेती की तरफ जाना पडेगा,

स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ जाना पड़ेगा, काटेज इंडस्ट्रीज को प्रायरटी देनी पड़ेगी और मोनोपोलाइजेशन को खत्म करने का भी यही तरीका है । आप आंकड़ें देख लें । बैंकिंग इंश्योरेंस कम्पनियों और गवर्नमेंट फाइनन्शियल इंस्टीट्यूशन्स को देख लें कि जितना भी पैसा गया है, उस में ज्यादा परसेन्टेज इन्हीं मानोपलो हाऊसस की होगी । हम यह चाहते हैं कि अगर किसी का महल है, तो वह महल में रहे लेकिन जो गरीब आदमी है, जो तांगेवाला है, उस के छप्पर पर भी छत बन जाए। इसलिए जो डिस्पेरिटीज आफ इंकम है, वे हम चाहेंगे कि खत्म हों और जनता पार्टी का तो कहना यह है कि एक और दस के अनुपात से ज्यादा डिस्पेरिटीज इंकम में नहीं होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहूंगा । हमारे हरिजनों और आदिवासियों की समस्या है, लिट्रेसी की समस्या है । ये समस्याएं आज से नहीं है । यह कोई एक पार्टी की समस्या भी नहीं है । ये सारे राष्ट्र की समस्याएं हैं, ये नेशनल प्राबलम्स हैं । इस चीज को इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए । मैं चाहूंगा कि जितनी पार्टियां यहां बैठी हैं, वे इनके ऊपर विचार करें और एक नेशनल करेंसस डवलप होना चाहिए । इस चीज पर सभी पार्टियों के विचार आने चाहिएं और सरकार और विरोधी पक्ष दोनों मिल करके एक मत से इस कलंक को खत्म करने की कोशिश करें ।

मायनोरिटीज के बारे में जनता पार्टी कमीशन बिठा रही है । मैं मांग करूंगा कि वह जल्दीसे जल्दी इस कमीशन को बिठाये और इसकी टर्म्स आफ रेफरेंस फिक्स करे ।

प्रापर्टी राइट को बिल्कुल हटाने के पक्ष में मैं नहीं हूं । लेकिन उसको ढीला करना चाहिए । प्रापर्टी राइट एक्सप्लाइटेशन का इंस्ट्रूमेंट न बने और देश में जो पैदावार हो वह नीचे के तबके तक जाए ।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरफ भी सरकार ने आज तक ध्यान नहीं दिया था । इस सरकार को उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए । सोशल दृष्टि से यह आवश्यक है । स्वामी विवेकानंद ने कहा था "No God for empty bellies."

इसलिए यह जनता पार्टी के लिए चेतावनी की बात है । अगर आर्थिक दृष्टि से वह लोगों का जीवन स्तर नहीं उठाती है तो लोगों के सामने कठिनाई आ सकती है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव की सराहना करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह यादव) : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य श्री व्यालार रवि ने 5 अगस्त, 1977 को एक संकल्प इस सदन में विचार के लिए प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है :—

"छठे लोक सभा निर्वाचनों के पश्चात् देश में व्याप्त नई राजनीतिक स्थिति की तथा सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण का जो कार्य सामने है उसको ध्यान में रखते हुए यह सदन सरकार से आग्रह करता है कि वह राज्य नीति के निदेशक तत्वों को अर्थ पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने, मूल अधिकारों के अध्याय में से सम्पत्ति के अधिकारों को निकाल देने, काम करने और साक्षरता तथा राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के अधिकार को मूल अधिकारों में सम्मिलित करने, तथा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों—हरिजनों, जनजातियों और जनता के अन्य दलित वर्गों को अधिक गारंटियां देने के उद्देश्य से संविधान में संशोधन करे ।"

मान्यवर, निस्सन्देह, यह संकल्प इस दृष्टि से प्रशंसनीय है कि इसमें सरकार सें आग्रह किया गया है कि सम्पत्ति के अधिकारों को निकाल कर, काम करने, साक्षरता और

[श्री नरसिंह यादव]

राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के अधिकार को मूल अधिकारों मे सम्मिलित करके तथा अल्प सख्यको, हरिजनो, जन जातियो और जनता के अन्य दलित वर्गों को अधिक गारंटिया दे कर राज्य नीति के निदेशक तत्वो को अर्थपूर्ण रुप से क्रियान्वित करने के उद्देश्य से सविधान के सशोधन के लिए तुरन्त कार्रवाई की जाए।

माननीय सदस्य यह चाहते है कि राज्य नीति के निदेशक तत्वो को अर्थपूर्ण रुप से क्रियान्वित करने की दृष्टि से मूल अधिकारो के अध्याय मे से सम्पत्ति के अधिकार को निकाल दिया जाए। निदेशक तत्वो से सबधित इन उपबधो को अधिनियमित करने का मुख्य उद्देश्य विधान मडलो और कार्यपालिका स्थानीय और अन्य प्राधिकरणो के सामने उपलब्धि के मानक स्थापित करना प्रतीत होता है। देश के शासन मे इसका बुनियादी स्थान माना जाता है। जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र मे उन विभिन्न उपायो का उल्लेख किया है जिनका उद्देश्य इन तत्वो को अर्थपूर्ण रुप से क्रियान्वित करना है। उस मे जो नई आर्थिक नीति बताई गई है उस मे योजना सबधी नई पूर्विकताओ (प्रायोरिटीज) का उल्लेख है। ये प्रायोरिटीज है कृषि, भूमि सुधार, ग्रामीण शिक्षा को अधिमान देना, एकाधिकार को समाप्त करना, निरक्षरता को समाप्त करना, शिक्षा के क्षेत्र मे नई दिशाओ की व्यवस्था करना, गरीबो के लिए आवास व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, महिलाओ, बच्चो और युवाओ को अधिकार देना, कमजोर वर्गों के लिए नई व्यवस्थाये करना आदि। ससद मे दिए गए अपने अभिभाषण मे भारत के राष्ट्रपति के रुप में कार्य कर रहे उप राष्ट्रपति ने यह बताया था कि सरकार गरीबी को निश्चित रुप से एक दशक के भीतर समाप्त कर देने का इरादा रखती है।

जहा तक सम्पत्ति के अधिकार का सवाल है, सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकारो से संबंधित सविधान के भाग 3 मे अनुच्छेद 19 (1) (च) और अनुच्छेद 31 मे प्रतिष्ठापित किया गया है। लोगों ने इस प्रश्न पर काफी ध्यान दिया है कि यह अधिकार मूल अधिकार के रुप मे रहना चाहिये या केवल एक कानूनी अधिकार के रुप मे रहना चाहिये। इस प्रश्न पर ससद् मे भी एक से अधिक बार विचार विमर्श हुआ है। एक विचारधारा यह है कि सम्पत्ति का अधिकार मनुष्य का बुनियादी अधिकार है और सभी सभ्य राष्ट्रो ने इसे मान्यता दी है तथा यह कहना कि सम्पत्ति का अधिकार मूल अधिकार नही है, सभ्य मनुष्य को अरक्षित पशु की स्थिति मे रखना होगा। इसके विपरीत अन्य विचारधारा यह है कि यह नैसर्गिक अधिकार नही है बल्कि यह देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के मार्ग मे एक गम्भीर बाधा है।

मोटे तौर पर पूर्ववर्ती सरकार की नीति सम्पत्ति के अधिकारो के समाप्त करने की नही बल्कि उनका विनियमन करने की थी। सविधान के अनुच्छेद 31, 31क और 31ख के सशोधनो से यह आशय स्पष्ट हो जाता है।

जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र मे राजनीतिक चार्टर और आर्थिक चार्टर मे, सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकारो की सूची मे से निकाल देने के अपने इरादे की घोषणा की है। उसके सुसगत अश इस प्रकार है

सरकार ने बार बार यह दलील पेश की है कि प्रगतिशील, सामाजिक और आर्थिक उपायो को रखने और उन्हे आगे बढाने के लिए तथा निहित स्वार्थो को न्यायालयो का सहारा ले कर उन्हे विफल करने से रोकने के लिए मूल अधिकारो और न्यायिक प्रक्रियाओ मे कटौती करना आवश्यक है। यह सर्वथा भ्रामक है। यह सच है कि योजना आयोग द्वारा स्थापित एक सरकारी कार्यदल ने 1974 मे यह रिपोर्ट दी थी कि भूमि सुधार के उपायो को इसलिए क्रियान्वित नही किया गया है

क्योंकि राजनीतिक इच्छा इसके पक्ष में नहीं है। ऊपर से अच्छे दिखाई देने वाले इस बहाने को हमेशा के लिए समाप्त कर देने के उद्देश्य से जनता पार्टी सम्पत्ति को संविधान में मूल अधिकारो वाले अध्याय मे से हटा देने का प्रयास करेगी और उसे अन्य अधिकारो के समान एक साधारण कानूनी अधिकार के रूप मे रहने देगी जो न्यायलय मे प्रवृत किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध मे विचार के लिए एक बहुत सुसगत प्रश्न यह उठता है कि क्या केशवानन्द भारती वाले मामले मे उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए किसी एक मूल अधिकार का संशोधन अनुज्ञेय होगा।

उच्चतम न्यायालय ने उस मामले मे अन्य बातो के साथ यह अभिनिर्धारित किया था कि अनुच्छेद 368 ससद को सविधान के बुनियादी ढाचे को परिवर्तित करने के लिए समर्थ नही बनाता है। अत प्रश्न यह है कि क्या "सम्पत्ति के अधिकार" की बाबत यह समझा जा सकता है कि वह सविधान के बुनियादी ढांचे का एक अंग है। उस मामले में सभी न्यायाधीशो ने उदाहरण देकर यह बताया था कि उन के विचार मे बुनियादी ढांचा क्या है, किन्तु न्यायाधीश खन्ना ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि सम्पत्ति के अधिकार का संविधान के बुनियादी ढाचे से कोई सम्बन्ध नही है। उन्होने यह भी कहा था कि यदि सम्पत्ति का अधिकार निदेशक तत्वो को क्रियान्वित करने के मार्ग मे बाधा है, तो संशोधन करने की शक्ति के अन्तर्गत सम्पत्ति के अधिकारो में कटौती करना या उन्हे समाप्त करना आता है, क्योंकि देश के शासन मे निदेशक तत्व सब से अधिक महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त को ध्यान मे रखते हुए, ससद् सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकारो की सूची मे से निकाल देने के लिए सविधान का संशोधन करने के लिए सक्षम है।

यह अनुभव किया गया है कि सरकार का तात्कालिक उद्देश्य यह होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितिया उत्पन्न करने के लिए कार्यवाही की जाये, जिन मे व्यक्ति के काम करने का अधिकार एक वास्तविकता बन जाये। ऐसी परिस्थितिया उत्पन्न करने के उद्देश्य से सरकार यह कह चुकी है कि बेरोजगारी और गरीबी दस वर्ष के भीतर समाप्त कर दी जायेगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, सरकार विकास के लिए नियोजन-अभिमुख नीति अपनाने का विचार रखती है। इस मे कृषि-उद्योगो, लघु और कुटीर उद्योगो को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रो मे, प्राथमिकता दी जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों की तात्कालिक आवश्यकताओ के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास के माध्यम से व्यवस्था करने के काम को भी हाई प्रायर्टी दी जायेगी। योजना आयोग से भी कहा गया है कि वह छठी पच-वर्षीय योजना तैयार करे, जिसमे नियोजन के लिए अधिक व्यवस्था की गई हो। योजना आयोग इस समय इस सम्बन्ध से ठोस नीतिया और कार्यक्रम तैयार करने के काम मे लगा हुआ है।

अत यह समझा जाता है कि बेरोजगारी की समस्या के हल हो जाने से पूर्व काम करने के अधिकार को मूल अधिकारो मे शामिल करना न तो संभव है और न वाछनीय है।

PROF P. G MAVALANKAR: May I respectfully raise a point of order, Sir ?

I do not want to come in the way of the maiden performance of the Minis-

[Prof. P. G. Mavalankar]

ter Let him read out the whole speech But we want an assurance that at the end of the written speech, he will answer the points made by us Otherwise, the whole purpose of the debate will be lost.

My understanding of the rules is that the Minister can write out and read something if it is a statement of policy But he cannot write out the whole speech I think every Member is prevented from reading a speech whether he is a Minister or a non-Minister

AN HON MEMBER He is permitted

PROF P G MAVALANKAR I am seeking your guidance If the Minister is making a policy statement, by all means it is written out, the whole thing, but if the whole speech is written out in advance and before the debate begins, that becomes rather difficult to swallow I would request you to give us guidance on this point If the Minister makes the whole speech, he is reading very well and we would love to hear him, but let him answer the questions later on

SHRI NARSINGH YADAV I have already noted down the points

PROF P G MAVALANKAR His senior colleague is sitting Both the Minister of State and his Senior Minister should answer the points Otherwise, the whole speech may be laid on the Table of the House and treated as read

MR CHAIRMAN As far as the Minister is concerned, that one should not write and read out his speech is not a matter of rule but is a matter of convention in the first place and even according to the convention Ministers are permitted to make speeches by reading statements. With respect to your question whether he will cover all the points that have been raised, kindly wait till the end He may be covering all the points

The Minister may proceed

श्री नरसिंह यादव : तो मैं सदन के सामने यह कह रहा था कि बेरोजगारी की समस्या के हल हो जाने से पहले काम करने के अधिकार को मूल अधिकारो मे सम्मिलित करना सम्भव नही होगा और न ही यह वाछनीय होगा । ऐसा करने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जिसमे उस व्यक्ति को जिसे काम नही दिया गया है बेरोजगारी भत्ता देना होगा । बेरोजगार व्यक्तियो को बेरोजगारी भत्ता देना भी अनेक कारणो से न तो संभव है और न वाछनीय । इसमे कुछ कारण इस प्रकार है

(क) यह ठीक-ठीक पता नही है कि इस समय कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं । ऐसी स्थिति मे बेरोजगार व्यक्तियो को बेरोजगारी भत्ता देने पर होने वाले खर्च का अनुमान लगाना कठिन है । बेरोजगारी के जो आकडे उपलब्ध हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि देश मे बडी सख्या मे बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले व्यक्तियो को प्रति व्यक्ति सौ रुपए प्रति मास की दर से बेरोजगारी भत्ता देने के लिए प्रति मास लगभग 421 करोड रुपए की आवश्यकता होगी ।

यह सोचा गया है कि सरकार का उद्देश्य इस बडी रकम को बेरोजगार व्यक्तियो को काम देने के वास्ते अतिरिक्त उत्पादक और टिकाऊ अवसर पैदा करने के लिए विकास की प्रक्रिया की गति तेज करने पर खर्च करना होना चाहिए ।

(ख) विशेष रूप से एक ऐसे देश मे जिसमें घरो मे काम करने वाले व्यक्तियो की और कृषि पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियो की सख्या बहुत अधिक है, ऐसे भत्ते के पात्र

बेरोजगार व्यक्तियों की पहचान के लिए उपयुक्त मानदण्ड अवधारित करने मे होने वाली कठिनाइया। रोजगार कार्यालय मे नाम दर्ज कराना ऐसी पहचान के लिए मानदण्ड नही माना जा सकता है क्योंकि—

(1) रोजगार कार्यालय मे नाम दर्ज कराना स्वच्छिक कार्य है,

(2) नियोजित व्यक्ति भी, और अच्छे कामो के लिए रोजगार कार्यालय मे अपने नाम दर्ज कराते हैं, और

(3) रोजगार कार्यालय केवल नगरीय और अर्धनगरीय क्षेत्रो मे होते है।

(ग) स्पष्ट बेरोजगारी के मुकाबले मे अल्प रोजगार अधिक व्यापक है, इसलिए यह विचार करना आवश्यक है कि क्या अल्प रोजगार वाले व्यक्ति को भी बेरोजगारी भत्ते का पात्र माना जाना चाहिए और यदि हा, तो अल्प रोजगार वाले व्यक्तियो के किस वर्ग को ऐसी राहत का पात्र माना जाना चाहिए।

(घ) ऊपर वाले प्रश्न से जुडा हुआ एक प्रश्न बेरोजगारी भत्ते के परिणाम और उसकी अवधि का है। अर्थ-व्यवस्था के सगठित और असगठित क्षेत्रो मे प्रचलित न्यूनतम मजदूरी को देखते हुए भत्ते के परिमाण का व्यक्तियो द्वारा काम किये जाने के लिए प्रोत्साहन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

(ङ) हमारा देश जिस आकार और स्वरूप का है उस मे ऐसी स्कीम को लागू करने मे बहुत कठिन समस्याए सामने आयेंगी और कदाचार के लिए बहुत गुजाइश रह जायेगी।

(च) ऐसा भत्ता देने का अर्थ होगा उत्पादन में समतुल्य वृद्धि के बिना अर्थ व्यवस्था में पर्याप्त साधनों का समावेश करना। इसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति का दबाव बढेगा।

(छ) इस बात पर भी विचार करना आवश्यक है कि ऐसा व्यक्ति जिसे काम दिया जाता है और जो उसे लेने से इन्कार कर देता है, प्रस्तावित भत्ता पाने का पात्र होगा या नही। इसमे हमारे जसे प्रजातात्रिक समाज मे व्यक्ति के रोजगार चुनने की स्वतत्रता के अधिकार से सबधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं।

जहा तक साक्षरता का सवाल है, 1971 की जनगणना के अनुसार 15 वर्ष तक की आयु वाले ग्रुप मे अशिक्षित व्यक्तियो की सख्या 20 95 करोड थी। सम्भावना है कि वह अब 23 करोड मे अधिक हो गई होगी। यह एक विकट समस्या है और इसके लिए धन, जन और सामग्री के रूप से असीम साधनो की आवश्यकता होगी। इस समस्या का सामना करने के लिए सरकार दोहरी नीति अपनाने का विचार रखती है। एक ओर प्रारम्भिक शिक्षा के लिए सुविधाओ का और विस्तार करने तथा उन्हे व्यापक बनाने का प्रस्ताव है जिससे कि प्रौढ अशिक्षित व्यक्तियो की श्रेणी मे और कोई वृद्धि न हो। दूसरी ओर प्रौढ शिक्षा के लिए सुविधाओ का जाल-सा बिछा दिया जायेगा जिससे कि अशिक्षित प्रौढ़ व्यक्ति स्वय को शिक्षित बनाने के लिए पर्याप्त सुविधायें प्राप्त कर सकें। केन्द्रीय शिक्षा, समाज कल्याण और सस्कृति मत्री 5 अप्रैल, 1977 को ससद् मे अपने वक्तव्य मे इस बात को स्पष्ट कर चुके है।

इस समस्या पर विचार करने के लिए मत्रालय ने विशिष्ट शिक्षाविदो और प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्र के कार्यकर्ताओ की दो बैठके बुलाई थी। इन विचार-विमर्श के आधार पर सरकार का विचार देश मे प्रौढ शिक्षा का वृहत् कार्यक्रम प्रारम्भ करने का है। यह भी विनिश्चय किया गया है कि इस क्षेत्र मे

[श्री नरसिंह यादव]

कार्यक्रमो का समन्वय करने और उन्हे लागू करने के लिए राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा बोर्ड गठित किया जाये ।

आशा है कि प्रौढ शिक्षा के प्रस्तावित व्यापक कार्यक्रम से और ग्रामीण जनता तथा शहरी कर्मकारी के लिए कार्यात्मक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा की वर्तमान स्कीमो से अशिक्षित व्यक्तियो को शिक्षित होने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो जायेगे । किन्तु इस क्षेत्र मे सबसे बडी समस्या अशिक्षित व्यक्तियो को इन सुविधाओ का उपयोग करने के लिए आकर्षित करने की है और यह काम किसी प्रकार के दबाव या बल प्रयोग के जरिये नही किया जा सकता है और न ही यह उचित है ।

जहा तक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का सवाल है, स्वाधीनता के बाद से सरकार ने जिस मजदूरी नीति को मान्यता दी है और जिसका अनुसरण किया है उसके उद्देश्य है—ऐसे कर्मकारो को, जिनकी सौदाकारी स्थिति कमजोर है, न्यूनतम मजदूरी, सगठित उद्योगो मे कर्मकारो को उचित मजदूरी, वास्तविक मजदूरी को बढती हुई कीमतो द्वारा उनमे होने वाले ह्रास से बचाना और लाभो मे शेयर देकर मजदूरी की पूर्ति करना । इन उद्देश्यो को विधान या स्वच्छिक सशोधनो के जरिए प्राप्त करने का प्रयास किया गया है ।

श्रम सबधी राष्ट्रीय आयोग का, जिसने अन्य बातो के साथ देश मे मजदूरी नियत किये जाने के विभिन्न पहलुओ की जांच की थी, विचार है कि राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी नियत किये जाने से अनेक कठिनाइया उत्पन्न हो सकती हैं और यह न तो उचित है और न वाछनीय । आयोग के सुसगत विचार इस प्रकार हैं ।

"राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का समर्थन करने वालो का दावा है कि ऐसी न्यूनतम मजदूरी की व्याप्ति व्यापक होगी और सरल होने के कारण उसे लागू करना अधिक आसान होगा तथा यह प्रभावी होगी । राष्ट्रीय आधार पर नीति के परिणामस्वरूप न्यूनतम मजदूरी नीतियो को सामान्य विकास नीतियो के साथ सम्बद्ध किया जा सकेगा और इससे मजदूरी सरचना का युक्तियुक्त बनाया जा सकेगा । हमारा विचार यह नही है कि राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के सम्बन्ध मे जिन फायदो का दावा किया गया है वे क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी के मामले मे विद्यमान नही है या यह कि तथाकथित फायदे वस्तुत सभी परिस्थितियो मे फायदे है । प्रशासन की सुविधा और प्रभावशीलता तो दूर रही, हमे आशका है कि अनिवार्यत व्यापक आधार पर राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के नियत किये जाने से अनेक कठिनाइया उत्पन्न हो सकती है । देश की विशालता और उद्योगो तथा उसके क्षेत्रो मे विकास के स्तरो मे व्यापक भिन्नता के कारण समान राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था टिकाऊ नही होगी ।

अन्य देशो के अनुभव भी हमे राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की सिफारिश करने के लिए उत्साहित नहीं करते । अत हमारा विचार है कि सम्पूर्ण देश के लिए एक समान न्यूनतम धनीय पारिश्रमिक के अर्थ मे राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी न तो उचित है और न वाछनीय । यदि ऐसी मजदूरी नियत कर दी जाती है तो, खतरा यह है कि यदि न्यूनतम मजदूरी आशावादी दृष्टिकोण अपनाकर तय की जाती है तो ऐसे क्षेत्र होंगे जो न्यूनतम मजदूरी नही दे पायेगे । यदि इस मजदूरी की गणना पर निर्धन क्षेत्र या उद्योग जो कुछ दे सकता है उसका प्रभाव पड़ने दिया जाता है तो राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी को प्रवृत्त करना उचित नहीं होगा ।

जहां तक अल्पसंख्यको आदि के सम्बन्ध मे गारटी क सवाल है सविधान के अनुच्छेद 15 मे यह उपबन्ध है की किसी नागरिक के विरुद्ध केवल जाति धर्म मूलवंश, लिग आदि के आधार पर कोई विभेद नही किया जाएगा। सविधान के अनुच्छेद 16(4), 17, 46, 335, 338, 338ख, 339, 340 मे अनुसूचित जातियो, जनजातियो एव पिछडी जातियो के लिए अतिरिक्त सुरक्षाओ का उपबन्ध है। भाषा सम्बन्धी अल्पसख्यको के लिए सुरक्षा का उपबन्ध, 29, 30, 350, 350क, 350ख मे है। अनुच्छेद 25(1), 26 व 30 भी सुरक्षा के उपबन्ध प्रस्तुत करते है।

MR CHAIRMAN I am sorry to have to intervene that the time is running out If Shri Ravi should have the right to reply, then he must be given time for that It is not necessary to carry over the Resolution to the next day Therefore try to conclude

PROF P G MAVALANKAR The balance of his speech may be laid on the table

MR CHAIRMAN He is concluding

श्री नरसिंह यादव · सभापति जी, मै समाप्त कर रहा हू। नि सन्देह माननीय सदस्य जिन्होने यह सकल्प रखा है और जिन सदस्यो ने अपने सुझाव पेश किये है, वे प्रशसनीय हैं और सरकार सिद्धान्त रूप मे इसमे जो निहित भावना है, उसका समर्थन करती है और जहा तक सम्पत्ति के अधिकार का प्रश्न है, सरकार ने संविधान का सशोधन करने की अपनी इच्छा की घोषणा की है लेकिन अन्य प्रस्तावो के सम्बन्ध मे सरकार का विचार है कि ये न तो आवश्यक हैं, न सम्भव हैं और न वाछनीय। अत: इस बात पर विचार करना मंत्रिमडल की ससदीय मामलो सम्बन्धी समिति का काम है कि क्या सकल्प का उसके वर्तमान रूप मे, समर्थन किया जाए या सदस्य से उसे वापस लेने का अनुरोध किया जाए। अन्त मे मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूगा कि वे अपने सकल्प को वापस ले ले।

SHRI KANWAR LAL GUPTA Before you call Shri Ravi, may I request through you, Shri Shanti Bhushan, whether he could say something about the Electoral reforms in one sentence or two and whether the Government is trying to bring forward that Bill in this session or the next session ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) So far as electrol reforms are concerned the Government has attached great importance to the electoral reforms In fact, various proposals, a large number of proposals, which had been made from time to time, from various sections, are under the active consideration of the Government

As the hon Members would appreciate, the question of electoral reforms is one bristle with all kinds of difficulties which require consideration m great depth I would like to express the hope that as soon as it is possible —after all, these proposals which are under the consideration of the Government have been examined in depth —the Government would be in a position to bring its own proposals for a dialogue with the other parties in this House and in the other House so that it may be possible by means of a consensus to reform the electoral system as best as possible so that the democracy may become very much strengthened and India may be able to produce a model of democracy for the whole world

MR CHAIRMAN Mr Ravi Kindly look at the clock

SHRI VAYALAR RAVI First of all, Mr Chairman I thank all the hon Members and the hon Minister who participated in the discussion and also Shri Shanti Bhushan, the Minister of Law, who had made a very important announcement on the floor of the House about the electoral reforms

I would appeal to you, Mr Chirman, to instruct the Government that the non-official business—the Private Members Bills and Resolutions—should be taken little seriouly I appreciate the minister s reply who is a new minister He of course needed more time I appreciate it At the same time I wish that the Government should seriously look into the amendments to our Constitution and the resolutions that are coming up The hon Member who participated in this debate, especially from the Janataparty, said that we ruled thirty years I think this ought not to have come from Shri Tiwari, a Member of the Janata Party He said that we ruled for thirty years He must also understand and recollect that in 1957, in Kerala, a non-Congress Government came to power and within 10 years thereafter, that Government were thrown out As somebody pointed out with all calamities or devastations that the country had faced the people were not prepared to wait for even ten years We, the Congress, were out of power I do not want to go into the statistics about the economic development and industrial progress, transport and communication development that had taken place in these thirty year I do not want to go into details of the progress that had been made Yet, they want 10 more years Please do not forget the history that the Congress was thrown out of their power within ten years after 1947 The people then were not prepared to wait for ten years I am proud that in the next few years, Shri Desai, our Prime Minister with Shri Jagjiwan Ram and Shri Shanti Bhushan will take our country forward

Here is a record with me regarding the achievements that have been made in the field of science Shri Chandrappan, in the course of a discussion, pointed out difficulties experienced by the people of this country due to floods I do not want to abuse the Government but this Government has had the facility The point I am making here is this With all the advances that have been made such as the satellites in orbit which could give a warning to the people about the cyclonic havoc that has been caused to the nation this Government, I am sorry to say, has failed to protect the lives of thousands of people of this country They could not even implement what had been done by the previous Government

They could not even implement what had been done by the previous government Is it not true that earlier information about the cyclones was given on the satellite So, I would humbly say that please do not abuse us by saying that we have done nothing Mr Mohan Dharia is sitting I hope he will not point an abusing finger against us because he himself is in a comfortable position from the point of view of foreign exchange reserves and export earnings

Mr Chandrappan and Shri Chatterjee spoke about the right to property as being a means of exploitation The Minister has declared that the right to property will be deleted I welcome it Shri Shanti Bhushan is an eminent jurist and he knows that many cases in the Supreme Court are about the right to property and against a large section of the people because Government tried to implement the Directive Principles The monopoly houses and proprietors of banks and other rich people have gone to the Court and obtained this kind of judgements in their favour on the basis of fundemental right Now, this exploitation has been done by whom and against whom The exploitation is done by the ruling class which is

omnipresent and omnipotent It is becaus of this reason I made my point that the right to property should be deleted I appreciate the comments made by Shri Mavalankar The hon' ble Law Minister has also made an important announcement about the election reforms

MR CHAIRMAN It is already 6 O' clock The House has to extend the time Is it the pleasure of the House that time may be extended by a few minutes?

SOME HON MEMBERS Yes

SHRI VAYALAR RAVI Now Sir the Minister has given the figures about the land reforms pertaining to the year 1974. I would request him to check up as to what happened after 1974 Almost every State introduced land reforms Now Sir what happened to land reforms The Belchi incident? The social cause of this incident is not that you indulged in making an organised attack but it is an organised attack by the land-lords and the rich people who think that they lost their land to the poor Harijans

Because of the social revolution, the movement for land reforms work up the rural society Today they think that the land can be acquired from the landed people and given to the Harijans In Kerala—please check up I may be right or wrong—no family is left without 10 cents of land Every family in Kerala has got a house of their own and there are some coconut trees around the house Sometime back there was some Land Reform legislation brought forward in this House The case camp up before the Supreme Court Leter this was passed and it was included in the 9th Schedule Of course, it may not be in force in full swing, but it has been implemented But I am not satisfied with this, because this has not been fully implemented.

18 hrs.

Now, he has mentioned about the basic structure of the Constitution I do not want to deal with the basic structure of the Constitution because this is a matter to be dealt with by the learned judges in the Supreme Court What I am concerned is the basic character of the Constitution If your concept is more pro-capitalist oriented, it can only encourage the monopolists and the concentration of economic powers in a few hands Sir even Pandit Jawaharlal Nehru himself once said that the poor had become poorer and the rich richer It happened so But in the social change, there is a limit for the individual property and all that The basic character of the Constitution itself was more of individualistic laissez faire concept This basic character of the Constitution cannot be a social concept of the society The basic theory of that concept cannot be a concept of socialistic pattern of society

The hon Minister made a reference about the Planning Commission He said about the Planning Commission's Rolling Plan This was a point which Shri Mohan Dharia was also thinking while in charge of the Ministry some time back I do not know whether he would be with the concept of Rolling Plan Dr Lakdawala said that the Rolling Plan will give an opportunity to the private sector and establish its foundation in a big way

AN HON MEMBER The party has not said about the plan We have not mentioned it

SHRI VAYALAR RAVI He said that it would give more opportunity and enough time to the private sector to establish themselves Therefore, I would ask the hon Minister whether he wants to strengthen the private sector in this country The rolling plan concept is nothing but a kind of

[Shri Vayalar Ravi]

budgetary provision Every year the Government gives details in regard to various programmes and schemes to be considered for the next year The Planning Commission has nothing to do with this It can be an advisory body If we switch over to the rolling plan like this then gradually there will no plan It means you are getting away with the usual plan and giving more opportunity to the private sector for their expansion I believe this is the Janata Party s concept I believe this should not the Janata Party s concept Shri Jayaprakash Narayan the leader of the freedom movement, is himself a socialist He brought about radical reforms in the Congress itself and once upon a time he led the youth in the freedom movement Therefore, I would appeal to you Sir that you should not adopt a philosophy of laissez faire A strong economic foundations in the country must be built on the basis of the public sector I do not want to go into the details of the rural economy But I would say that it is unfortunate that the rural society could not be improved for the last many years Of course when Shri Mohan Dharia was in charge of the Planning Commission he had a big programme to change rural society He might have had difference of opinion with the then Prime Minister But it is unfair to say that the previous government had no programme for rural development Our rural society is very poor and we have to improve them Harijans and tribals the majority of them are in the rural areas Hon Members said about minimum wage regarding factories I am prepared to accept that But what about agricultural workers 20 million of them They are the majority 90 per cent of them are there they are weaker sections Majority of them are Harijans. If we cannot provide them with minimum wage for them for the other rural based industries it may be difficult I raised the cashew question the Kerala Government is facing it today Traditional industries, basic industries have to be developed. Fragmenting basic industries and putting them in the rural areas that is not good, I do not understand that Janata Party policy I can emphatically say that in the last thirty years of the Congress rule the country had definitely made good progress, now that is your responsibility You say cooperation from our side Our leader is sitting here and we had expressed our willingness for dialogue Our party is wanting to cooperate and we will not stand in the way of the progress of the nation Our prime intention is progress of the nation and we will not stand in the way and we are prepared to cooperate in the progress of the country With these words I seek leave of the House to withdraw my resolution

MR CHAIRMAN I am told there are amendments. Have the movers of the amendments leave of the House to withdraw them?

SOME HON MEMBERS Yes

The Amendments 1,2 and 3 were by leave withdrawn

MR CHAIRMAN Does the hon mover have the leave of the House to withdraw his resolution?

SOME HON MEMBERS Yes

The Resolution was by leave withdrawn

---

18 09 hrs

RESOLUTION *RE* PARITY BETWEEN THE PRODUCTION AND PRICES OF AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL PRODUCTS

श्री अर्जुन सिह भदौरिया (इटावा) मैं प्रस्ताव पेश करता हू

"कि इस सभा की राय है कि गत 30 वर्षों के दौरान देश मे किसानो और गरीब जनता की घोर उपेक्षा की गयी है और तत्कालीन सरकार कृषि और औद्योगिक उत्पादन